

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी अवन, अटल नगर
जिला-शायपुर (छ.ग.)

क्र. 5097 / एफ-1-158 / 31 / एस-2 / 2019 , अटल नगर, दिनांक ०४/१२/२०२१
प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी क्षेत्र,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- दुर्ग (बालोद) जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/दुर्ग की खरखरा मॉहदीपाट नहर प्रणाली 17.00 कि.मी. से 33.75 कि.मी. तक रिमाडलिंग, लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर्स कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- मु.अ. का पत्र क्र. 77 / डी-2 / मगोक / 2019 / 3769 दिनांक 15.06.2021

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग (बालोद) जिले के विकासखण्ड गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा/दुर्ग की खरखरा मॉहदीपाट नहर प्रणाली 17.00 कि.मी. से 33.75 कि.मी. तक रिमाडलिंग, लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर्स कार्य हेतु लागत राशि रु. 4688.32 लाख (रुपये छियालिस करोड़ अट्ठासी लाख बत्तीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत खरखरा मॉहदीपाट नहर प्रणाली की रूपांकित सिंचाई 12145 हेक्टेयर में 2487 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 200 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 12345 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कांडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, लेखाशीर्ष- 4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [08]- खरखरा {800}- अन्य व्यय, 0311-नाबाड़ पोषित योजनाएं(सामान्य), (5188)-मध्यम सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबाड़) #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक 716 / सी.एन.-31-00017 / बजट-2 / वित्त / चार / 2021 दिनांक 26.11.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Shri
०५/१२/२०२१
(प्रेमसिंह घटेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
(H) जल संसाधन विभाग

पु. क्र. 5098/एफ-1-158/31/एस-2/2019,

अटल नगर, दिनांक 04/12/2021

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 4 सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- 8 कलेक्टर, जिला—बालोद (छ.ग.)।
- 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 नवा रायपुर—अटल नगर।
- 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
- 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल दुर्ग जिला—दुर्ग (छ.ग.)।
- 14 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद जिला—बालोद (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फॉल्डर।

०४/१२/२०२१
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग